'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2019-20-21
WPP Licence No.- U(C)-101/2019-2021
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.01.2019
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रकाशक : डॉ. उदित राज, चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23354841-42

Website : www.aiparisangh.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 22 ● अंक 2 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 जनवरी, 2018

आरक्षण क्यों आया और अब कहां

लगभग एक शताब्दी तक आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर था और धीरे धीरे माहौल बनाकर आर्थिक आधार जोड़ा गया। जितनी त्वरित गति से यह संवैधानिक संशोधन किया गया उतना शायद अभी तक हुआ नहीं है। अगर राजनैतिक इच्छाशक्ति हो तो बहुत कुछ संभव है।

आरक्षण एक ऐसा तिलस्म है कि न जाने कितने सपने दिखाता है। शुरू में आरक्षण प्रतिनिधित्व एवं जो अपने बूते शासन में नहीं आ सकते थे उनके लिए लाया गया। शाहूजी महाराज ने 1902 में कोल्हापुर की रियासत में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। मैसूरर की रियासत में अगस्त 1918 में चीफ जस्टिस मिलर के नेतृत्व में कमीशन बना और इसकी रिपोर्ट मई 1919 में जारी हुई। मिलर ने सिफारिश की कि सवर्णों को छोड़कर पिछड़ों एवं दलितों को 75 प्रतिशत का आरक्षण होना चाहिए और यह मई 1921 से लागू भी हो गया था। इस आयोग ने यह भी कहा कि अच्छा नोट लिख देने वाला योग्यता का मापदंड नहीं है। इसी वर्ष सितंबर माह में जस्टिस पार्टी ने मद्रास की रियासत में आरक्षण लागू किया। 1928 में बांबे प्रेसीडेंसी में और 1935 में त्रावणकोर राज्य में आरक्षण लागू हुआ। 1943 में भारत सरकार में आरक्षण लागू किया गया। इन सबकी पृष्ठभूमि की समीक्षा की जाए तो लगेगा कि आरक्षण उन्हीं को

दिया गया, जिनकी भागीदारी नहीं थी या उनकी क्षमता नहीं थी कि वे अपने बूते पर नौकरियों में आ जाते। स्पष्ट है कि गरीबी उन्मूलन का साधन कदापि नहीं था, बल्कि सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ेपन के कारण।

वी.पी. सिंह की सरकार ने 1990 में पिछड़ों को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करते हुए आरक्षण दिया। घोर विरोध हुआ, इसलिए मामला अदालत में गया और अंत में 9 जजों की पीठ ने 27 प्रतिशत का पिछड़ों को आरक्षण देते हुए, आर्थिक आधार जोड़ दिया। इस तरह से 9 जनवरी 2019 तक संविधान में सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पर आरक्षण देने का प्रावधान रहा। अदालत ने आर्थिक आधार पर किया था लेकिन वह बिना संविधान में संशोधन किए। अब जब आर्थिक आधार मापदंड बना दिया गया है तो कई प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगें। जब से मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई तब से यह भी परिस्थिति बन गयी कि मानो कि आरक्षण तमाम समस्याओं का निदान है। यह भी बात उठायी गयी कि दलितों और आदिवासियों में जिन्हें आरक्षण मिल चुका है, वे अब छोड़ें और गरीबों को आने दें। धीरे-धीरे माहौल बनता गया कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का हथियार है, जबकि ऐसा नहीं है।

10 प्रतिशत का आरक्षण जो गरीब सवर्णों को दिया गया है, उससे यह तो फायदा दलितों और पिछड़ों को हो गया कि अब अयोग्यता का कलंक उनके माथे पर नहीं रह पाएगा। आरक्षण जिन राज्यों में सबसे पहले लागू हुआ, वही राज्य आर्थिक और शैक्षणिक रूप से आगे भी गए हैं। उपरोक्त में इस पर चर्चा की जा चुकी है कि दक्षिण भारत में आरक्षण पहले शुरू हुआ और इसी वजह से आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वे उत्तर भारत से आगे हैं। अभी तक यह प्रमाणित नहीं हो सका है कि आरक्षित वर्ग के कर्मचारी और अधिकारी की दक्षता औरों से कम है। शुरू में प्रतियोगिता के समय जरूर कुछ अंकों का अंतर होता है लेकिन जब सरकारी सेवा में कार्यरत् हो जाते हैं तो सबका अनुभव एक जैसा ही हो जाता है। यह कहा जा सकता है कि आरक्षित वर्ग से आए मुलाजिम कहीं बेहतर क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। बहुत ज्यादा शोध इस क्षेत्र में नहीं हुआ है, लेकिन जो दो अध्ययन प्रो. अश्विनी देशपांडे और अलेक्जेंडर ली एवं अखिल आर. भवनानी के द्वारा किए गए हैं, उनसे यही स्थापित हुआ है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सेवा की व्यावहारिक दुनिया में बेहतर कर सके हैं तो यह आरोप सिद्ध नहीं होता कि आरक्षित वर्ग से आए हुए लोग अयोग्य हैं।

दुर्भाग्य है कि जाति के नाम पर आरक्षण का ही विरोध होता रहा है, जबकि कई प्रकार के आरक्षण पहले से ही चले आ रहे हैं, जैसे कैपिटेशन फीस कोटा, मैनेजमेंट कोटा, स्थानीय कोटा आदि लेकिन उसका कभी विरोध नहीं हुआ। जबसे निजीकरण और भूमण्डलीकरण का दौर आया है, सरकारी नौकरियां नाम-मात्र की रह गयी हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खत्म किए जा रहे हैं। अनुबंध पर कर्मचारी की नियुक्ति भारी पैमाने पर हो रही है। तमाम कामों को ठेकेदार से कराया जा रहा है और सरकार के काम को आउटसोर्स कर दिया जा रहा है। इन कारणों की वजह से बड़ी तेजी से नौकरियां घटी हैं। नितिन गडकरी जी के हाल के बयान ने और स्पष्ट कर दिया कि अब सरकार में नौकरियां कहां रह गयी हैं।

एक पोस्ट पर हजारों और लाखों अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं और ऐसे में योग्य युवा व युवतियों को एक प्रतिशत भी नौकरी नहीं मिलने वाली है। यह न केवल गरीब सवर्णों के लिए सच है, बल्कि दलित और पिछड़ों के लिए भी। जब से 10 प्रतिशत का आरक्षण सवर्णों को मिला है, चारों तरफ से सरकार की सराहना हो रही है, जैसे कि तमाम बेरोजगारी का समाधान हो ही जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। गरीब सवर्णों का आरक्षण इसलिए भी किया जाना चाहिए कि अब अयोग्यता या निकम्मेपन का आरोप दलितों व पिछड़ों पर नहीं रह जाएगा जो हर गली व चौराहे पर सवर्ण समाज के लोग कहते फिरते थे कि उनकी औलादों को आरक्षण की वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही है। किसी भी दृष्टि से आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि सवर्णों की आबादी 15 प्रतिशत है और उनके लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण दे दिया गया है। कितनों को रोजगार मिलेगा यह तो समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक फायदा जरूर इससे हुआ है कि जो पानी पी-पीकर कोसते थे कि अयोग्य लोग सरकारी तंत्र में आ गए हैं और उन्हीं की वजह से उनकी औलादों को अवसर नहीं मिला।

✦✦✦

सांसद डॉ. उदित राज ने लोक सभा में न्यायाधीशों की नियुक्तिका मुद्दा उठाया

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर 2018, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली, सांसद डॉ उदित राज ने आज नियम 377 के अंतर्गत न्यायधीशों की नियुक्ति एवं पीआईएल का मुद्दा उठाया। डॉ. उदित राज ने कहा कि ''भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं भी एक न्यायधीश दूसरे न्यायधीश की नियुक्ति नहीं करता है। जजों की नियुक्ति की कोई योग्यता नहीं रह गयी है। जब कोई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी वकील को जज बनाने की सिफारिश करता है तो क्या उस वकील का कोई साक्षात्कार या परीक्षा होती है या उसके द्वारा लड़े गए मुक़दमे की गुणवत्ता की जांच होती है। आम आदमी के लिए न्याय इतना महंगा हो गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुँचने की हिम्मत नहीं कर सकता। देश में वकीलों की कमी नही है लेकिन जजों की मेहरबानी से कुछ फेस वैल्यू वाले पैदा हो गए हैं और इसी वजह से लाखों -करोंडो में फीस मांगी जाती है। जनहित याचिका से नुकसान ज्यादा हुआ और फायदा कम, कुछ जजों के कृपापात्र वकील और एक या दो नागरिक जनहित याचिका के द्वारा ऐसा नियम कानून बनवाने लगे हैं जो एक वर्ग और देश की आबादी को प्रभावित करता है जिसमें इनकी कोई राय शामिल नहीं होती है। यह जनतंत्र के खिलाफ है, यह कैसे संभव है कि कुछ चंद लोगों की सोच पूरे देश के ऊपर थोप दी जाये, वर्तमान में जो काम 545 सांसद नहीं कर पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश चंद समय में कर लेते हैं।'' ✦✦✦

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष	:	600 रुपए
एक वर्ष	:	150 रुपए

दलित बने हार का कारण

डॉ. उदित राज

हाल के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दलितों की भूमिका निर्णायक रही। परन्तु मुख्यधारा की मीडिया ने इसकी प्रस्तुति ठीक से नहीं किया। भले ही इनकी भूमिका को इरादतन न छिपाया हो लेकिन जो लोग मीडिया में हैं, ऐसा इसलिए कर बैठते हैं कि जाति-बिरादराना और दोस्ती का सम्बन्ध इनसे नहीं होता और दलितों की आवाज़ भी ज्यादा दिखती नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बढ़त लगभग 9 प्रतिशत रही जिसमें से लगभग 4.5 प्रतिशत की बढ़त दलित, आदिवासियों के कारण थी। यह बहुत बड़ा कारण था कि अपेक्षा से अधिक सीटें आयी और उस अनुपात में इन विधानसभाओं में इनका वोट नहीं मिला जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। कहीं न कहीं चूक जरुर रही है जिसकी वजह से भाजपा का साथ दलितों ने छोड़ा। कांग्रेस का साथ 2014 में इसलिए छोड़ा था कि उन्हें लगा था कि उनकी उपेक्षा हुई और उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है और बड़ी उम्मीद के साथ भाजपा के साथ जुड़े, और दूसरा कारण यह भी था कि मोदी जी पिछड़े समाज से आते हैं।

अनुमान लगाना मुश्किल नहीं होगा कि दलितों, आदिवासियों में मान-सम्मान एवं भागीदारी की महत्वाकांक्षा बढ़ी है। इनकी आकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ गयी है कि जो दलित नेता संघर्षरत न दिखे तो उसकी खैर नहीं। अपेक्षा केवल अधिकार की ही नहीं बल्कि, सामाजिक राजनैतिक नेतृत्व का हो गया है। अगर उन्हें लगता है कि उनका नेता पिछलग्गू या उनके अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाता तो उनकी विरक्ति उस पार्टी से भी हो जाती है। अब दलितों के घर पर भोजन करना या महापुरुषों के स्मारक इत्यादि बनाने तक मांग नहीं रह गयी है बल्कि मान-सम्मान और भागीदारी भी चाहिए। अब इनके समाज के व्यक्ति को कितना ही बड़ा पद दे दिया जाए, अगर वो बोलता नहीं तो यह ग़लतफ़हमी निकल जानी चाहिए कि अब संकेत मात्र से उनको लुभाया जा सकता है। कई पार्टियों का नेतृत्व भूल करते हैं कि मात्र मंत्रिमंडल या अन्य पदों पर भागीदारी से ये संतुष्ट हो जायेंगे, शायद यही भूल भारतीय जनता पार्टी से हुई।

सुरक्षित सीटों से ज्यादा विधायक और सांसद चुनकर के जिस किसी पार्टी से आया तो यह नहीं समझना चाहिए कि दलितों का समर्थन ज्यादा है इसलिए कि 70 से 75 प्रतिशत वोट शेयर गैर-दलित और अदिवासी का होता है। दूसरी परिस्थिति यह भी हो सकती है कि ज्यादा चुनकर जिस दल से आये तो यह मान लेना चाहिए कि उस पार्टी के लिए इनका समर्थन ज्यादा है। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में 36 में से 32 सीटों पर दलित जीते थे और इस बार केवल 11 पर जीत हासिल हुई उसी तरह से 25 में से 9 आदिवासी जीते जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में 18 जीते थे। राजस्थान हिन्दौन में जहाँ पर सवर्णों का हमला भारत बंद के दूसरे दिन हुआ था वहां पर 26,780 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अलवर में गोली चली थी तो 10 में से केवल 2 सीट मिली। सीकर में पिछली बार 5 सीट जीती थी लेकिन इस बार शून्य। बाड़मेर और जैसलमेर में करारी हार का सामना देखना पड़ा क्योंकि वहां पर दलितों और आदिवासियों का टकराव सवर्णों से हुआ था। बहुजन समाज पार्टी को मध्य प्रदेश में 10 विधानसभा में 10 हजार से ज्यादा वोट मिले जो भिंड, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, सतना, रेवा और पन्ना से हैं। 2013 में भाजपा को छत्तीसगढ़ में 13 सीटों में से 8 मिली थी जबकि इस बार कांग्रेस को 8 मिली।

पराजय का हार का कारण कहीं नोटा को बता रहे तो कहीं सवर्णों की नाराजगी लेकिन असली कारण दलित, आदिवासी की नाराज़गी रही। अभी तक जितने भी बड़े आन्दोलन हुए तो टकराव सरकार से होती है लेकिन इस बार दलित और सवर्ण के बीच भारी संघर्ष हुआ और 10 लोग मारे गए जिसमे से 8 सवर्ण समाज के हाथों से। सरकार का भारत बंद से विरोध नहीं था बल्कि सवर्ण समाज का। इस बार फिर से सवर्ण मानसिकता प्रदर्शित हुई कि कल के दबे-कुचले और गुलाम कैसे भारत बंद करने लगे। ज्यादातर स्थानों पर न केवल सवर्ण समाज के द्वारा उत्पीड़न किया गया, बल्कि जातिवादी मानसिकता के अधिकारियों के द्वारा भी। 2 अप्रैल भारत बंद में शामिल लोगों के ऊपर मुक़दमे लादे गए और कई जगहों पर तो पलायन करना पड़ा। जब दूसरे समाज के लोग इससे भी ज्यादा उग्र आन्दोलन करते हैं तो उनके साथ इस तरह से अन्याय नहीं होता है। पार्टी में जो दलित नेता हैं वह पार्टी नेताओं के द्वारा बनाये गए हैं और संघर्ष करके दलितों द्वारा नहीं बने है, इसलिए एक के बाद एक घटना के कारण भाजपा से दूर होते गए। रोहित वेमुला, ऊना, सहारनपुर और कोरेगांव की घटनाओं के मामले में यदि पार्टी का दलित नेता हस्तक्षेप करता तो स्थिति इतनी ख़राब न होती। पार्टी के अन्दर जो दलित कार्यकर्त्ता और नेता हैं उनकी प्रष्ठभूमि संघ परिवार से होती है और दूसरे दलों में सीधे अपने समाजों से। इसलिए भाजपा के दलित नेता प्रभावशाली नहीं हो पाते हैं। ये सारे दलित नेता न भी रहें तो भी जितना समर्थन पार्टी को इस समाज का है उतना बना रहेगा क्योंकि वह संघ और पार्टी के कारण जुड़े रहते हैं जो कि दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं है। यह कहना कि सवर्णों की नाराज़गी की वजह से हार हुई है ऐसा भी नहीं है क्योंकि मध्यप्रदेश में इनकी आबादी लगभग 7 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में 4 प्रतिशत है। दलित, आदिवासी लगभग 25 प्रतिशत हैं और ये वोट देने निकलते भी हैं तो इनकी भूमिका निर्णायक है उसी तरह से, जिस तरह से पिछड़ा और मुस्लिम समाज का।

+++

एयरपोर्ट अथॉरिटी के हजारों कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में भूख हड़ताल किया

सांसद उदित राज ने भरोसा दिलाया था कि वह समर्थन करेंगे और लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया भी

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर 2018, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली सांसद डॉ. उदित राज ने भूख हड़ताल पर बैठे एयरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लाइज यूनियन के हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों से मुलाकात की। यह हड़ताल हवाई अड्डा निजीकरण के विरोध में राजीव गाँधी भवन, नई दिल्ली के बाहर की जा रही थी।

डॉ. उदित राज ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं केंद्र सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि हवाई अड्डों का निजीकरण तत्काल प्रभाव से रोका जाये, यदि हवाई अड्डों का निजीकरण हो जायेगा तो कई हजार कर्मचारियों और अधिकारियों का भविष्य अधर में लटक जायेगा। इससे पहले वर्ष 2009 में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर और बंगलौर एयरपोर्ट का निजीकरण किया गया जिससे हजारों अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का जीवन संकट में आ गया। निजीकरण करने से सबसे ज्यादा नुकसान इसी वर्ग को रहा है। अब अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहटी, मैंगलोर और त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के निजीकरण की तैयारी की जा रही है। जब ये एयरपोर्ट्स किसी भी तरह के घाटे में नही है तो फिर इनका निजीकरण करना कहाँ तक उचित है ?

जिन एयरपोर्ट्स का निजीकरण किया गया है वहां अब स्थिति बेहद ख़राब हो गयी है, दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो यहां अब कन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को नौकरी पर रखा जा रहा है और उनकी न्यूनतम सैलरी का भी कोई भी प्रावधान नही है, जिससे इन लोगों का मानसिक और अर्थिक दोनों तरह से शोषण किया जा रहा है और मैं इस मुद्दे को लोकसभा में उठाऊंगा।

यह भूख हड़ताल एयरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लाइज यूनियन एवं ज्वाइंट प्लेटफॉर्म के द्वारा बलराज सिंह अहलावत (महासचिव) और एयरपोर्ट अथॉरिटी एससी/एसटी एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष देवी सिंह राणा के नेतृत्व में की गयी, जिसमे पूरे देश के 133 एयरपोर्ट्स के हजारों कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए, यह भूख हड़ताल 10 दिसम्बर 2018 से शुरू हुई थी जिसका समापन 12 दिसम्बर को किया गया।

वायदे के अनुसार डॉ उदित राज जी ने उपरोक्त मामले को 19 दिसंबर, 2018 को लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाया।

डॉ. उदित राज ने लोक सभा में एअरपोर्ट्स के निजीकरण का मुद्दा उठाया

19 दिसंबर, 2018 को सांसद डॉ. उदित राज ने ने लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत एअरपोर्ट्स को निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध करते हुए मामला उठाया।

! उन्होंने कहा कि 2009 में पांच एयरपोर्ट्स - दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर एवं नागपुर का निजीकरण किया गया, जिससे हजारों अनुसूचित जाति/जन जाति, पिछड़े आदि को मिल रहा आरक्षण छिन गया, जबकि ये पांचों एयरपोर्ट्स लाभदायक थे। निजीकरण की नीति बनाते समय कहा गया था कि सिर्फ बीमार एवं घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों एवं विभागों का ही निजीकरण किया जाएगा। अभी हाल में 6 और एअरपोर्ट्स - अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गोहाटी, मंगलौर और त्रिवेन्द्रम, का निजीकरण करने की योजना है जबकि ये भी लाभकारी एअरपोर्टस हैं। अगर इनका निजीकरण किया जाता है तो 2009 में हुई गलती की ही पुनरावृत्ति होगी।

महोदया, आपके माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इन एअरपोर्ट्स का निजीकरण जनहित में तुरंत प्रभाव से रोका जाए।

शीतकालीन सत्र में सांसद डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए मुद्दे

अतारांकित प्रश्न सं. 231

उत्तर की तिथि : बुधवार, 12 दिसम्बर, 2018

भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या वर्ष 2009 में उच्चत्तम न्यायालय द्वारा ऐसी सेवा के सृजन का आदेश दिया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रस्ताव के क्रियान्वयन कि स्थिति है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

(क) : एक व्यापक प्रस्ताव अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ए. आई.जे.एस.) को गठित करने के लिए बनाया गया था जिसकी सिफारिश नवम्बर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा कि गयी थी, उच्चत्तम न्यायलयों और राज्यों से प्राप्त विचारों के साथ प्रस्ताव को 5 अप्रैल, 2015 को हुए मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायलयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन के लिए कार्य सूची में सम्मिलित किया गया था।

(ख) : भारत के उच्चत्तम न्यायालय ने आल इंडिया जज एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में 13/11/1991 के अपने निर्णय द्वारा सिफारिश की है कि सरकार को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए विधि आयोग की सिफारिश को कार्यान्वित करने कि साध्यता की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने इसी मामले में 24/11/1993 के अपने निर्णय में इसके बाद पुनः दोहराया।

(ग) : अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ए.आई.जे.एस.) के गठन पर राज्यों और उच्च न्यायलयों के बीच राय की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने समान आधार पर परामर्श वाली प्रक्रिया लाने का वचन दिया है तथापि इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

.....

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3542

(उत्तर की तिथि 02.01.2019)

अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय कि संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए निर्णयों को संपूर्ण भारत में 'देश के कानून' के रूप में स्वीकार और कार्यान्वित किया जाता है;

(ख) यदि हाँ तो क्या डीओपीटी ने अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) दिनांकित 22.07.1997 को वापस लेने के लिए जिसे उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने ''रोहतास भांखर और अन्य बनाम भारत संघ'' शीर्ष वाले दीवानी अपील संख्या 6046-6046 दिनांक 2004 पर 15.07.2014 को दिए गए निर्णय द्वारा अवैध घोषित कर दिया था, को वापस लेने के लिए कोई सामान्य कार्यालय ज्ञापन जारी किया है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 22.07. 1997 द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पदोन्नति सम्बन्धी लाभों को बहाल कर दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

(क) : जी हाँ।

(ख) से (ड.) : माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोहतास भांखर और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य नामक दिनांक 15.07.2014 की दीवानी अपील संख्या 2004 के 6046-6047 में अन्य बातों के साथ- साथ यह निर्देश दिया था कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का वर्ष 1997 का कार्यालय अवैध है। इस निर्णय की घोषणा के समय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को कम अर्हता अंक/मूल्यांकन के लिए कम मानक का प्रावधान करने वाला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 03.10. 2000 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/23/96/स्था.(आरक्षण) (खंड-½||पहले से ही लागू था । इस प्रकार दिनांक 03.10.2000 के कार्यालय ज्ञापन ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति के मामले में छूट संबंधी लाभों को पहले ही बहाल कर दिया था।

चूँकि ऊपर उल्लिखित दिनांक 15.07.2014 का निर्णय केवल, 1996 के अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-½|सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए ही था, अतः यह निर्णय लिया गया कि 1996 परीक्षा में भाग लेने वाले सभी आवेदकों और सामान स्तर के अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अनुवर्ती लाभों सहित लाभ प्रदान किये जाएं। तदनुसार जुलाई/सितम्बर, 2015 में, वर्ष 2006 और 2007 की अवर सचिव की चयन सूची में ऐसे 32 योग्य अधिकारियों को उनके ठीक नीचे के कानिष्ट अधिकारियों के सन्दर्भ में अस्थायी रूप से अंतर्वेशित किया गया और उन्हें नियमानुसार गृह वेतन लाभ दिया गया था।

अतारांकित प्रश्न सं : 4430

उत्तर देने की तारीख : 08.01. 2019

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशें

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा में 19 दिसम्बर, 2011 और 13 मार्च, 2018 को क्रमशः पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4084 और 2852 के अनुसरण में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) द्वारा दी गई सिफारिशों की दूरसंचार विभाग (डीओटी) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने अनदेखी की है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा एमटीएनएल के अधिकारियों जिन्हें 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसरण में जारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार और आरक्षण के नियमों के अनुसार सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों से पहले पदोन्नत अनुसूचित जाति के अधिकारियों कि वरिष्ठता सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री विजय साम्पला)

(क) और (ख): जी नहीं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपनी सुनवाई के दौरान दूरसंचार विभाग (डीओटी) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को याचिकाकर्ता की शिकायत और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशा – निर्देशों के अनुसार मामले की पुनः जांच करने कि सलाह दी थी। उसके प्रत्युत्तर में, दूर संचार विभाग (डीओटी) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) : कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के मौजूदा दिशा-निर्देश का सदैव पालन किया जाता है। 85वें संशोधन तथा इसके साथ- साथ माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 4339/1995 में दिनांक 26.04.2000 को दिए गए आदेश में उल्लिखित दिशा- निर्देशों के अनुसरण में, दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार विभाग (डीओटी), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के दूरसंचार इंजीनियरिंग सेवा (टीईएस) समूह 'ख' के अधिकारियों के संबंध में दिनांक 17. 01.2007 को अंतिम वरिष्टता सूची जारी की है। एमटीएनएल ने एनसीएससी को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर डी है और यह उल्लेख किया है कि दूर संचार विभाग ने इस मामले पर कार्यवाई की है और तदनुसार एमटीएनएल ने उसका अनुपालन किया हैं।

.....

तारांकित प्रश्न सं. 209

उत्तर की तिथि : 26 दिसम्बर, 2018

विशेष जिला न्यायालय

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मुकदमों को निपटाने के लिए विशेष जिला न्यायालयों के गठन की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) ऐसे विशेष न्यायालयों के गठन में देरी के राज्य-वार कारण क्या है ; और

(ग) ऐसे निर्धारित न्यायालयों का समयबद्ध तरीके से गठन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किये गए ठोस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विशेष जिला न्यायालयों के सम्बन्ध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 209 जिसका उत्तर तारीख 26 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण :

(क) से (ग) : विशेष जिला न्यायालयों का गठन और उनका कामकाज राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकारी के भीतर आता है, जो ऐसे नयायालयों की स्थापना अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार, ''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015' कि धारा 14 के अनुसार, उच्च न्यायालयों के परामर्श से करती है। अधिनियम, इसके अतिरिक्त उन जिलों में जहाँ इस अधिनियम के अधीन कम संख्या में मामले फाइल होते हैं, राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायलय के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है। अतः ऐसे न्यायालयों के गठन की राज्यवार आकड़े केंद्र द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

14वें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक तंत्र को सुदीर्ण करने के संघ सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ, समाज के दुर्बल और सीमान्त वर्गों को सम्मिलित करने वाले मामलों के लिए, 4,144 करोड़ रुपये कि लागत से 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करना भी शामिल है। राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, आयोग द्वारा वर्धित कर न्यागमन (32 प्रतिशत) से (42 प्रतिशत) के रूप में प्रदत्त अतिरिक्त राज्यकोशीय व्यवस्था के उपयोग करने का आग्रह किया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 3972

उत्तर की तिथि शुक्रवार 04 जनवरी, 2019

विनिवेश लक्ष्य

क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के विनिवेश लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और इसे प्राप्त करने कि योजना /ढंग क्या है;

(ख) सरकारी क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयु) की संख्या का ब्यौरा क्या है जिनके हिस्से को अब तक बेच दिया गया है तथा इनके कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचा गया है ;

(ग) क्या बेचे गये पीएसयू लाभ कमाने वाले या हानि में चल रहे थे और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र उपक्रम के दर्जे से निजी में परिवर्तित पीएसयू कि संख्या कितनी है और लाभ कमाने वाली पीएसयू को बेचने के क्या कारण है ?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पी. राधाकृष्णन)

(क) : वर्ष 2018-19 में विनिवेश हेतु बजट अनुमान 80,000 करोड़ रुपये है। हाल ही के वर्षो में, सरकार आरंभिक सार्वजानिक पेशकश (आईपीओ), बिक्री की पेशकश (ओएफएस), शेयरों की वापसी खरीद, सामरिक विनिवेश, एक ही क्षेत्र के भीतर विलय एवं अधिग्रह, एक्सचेंज ट्रेडेड फण्ड (ईटीएफ) सहित विनिवेश के विभिन्न तरीकों/पद्धतियों का उपयोग कर रही है। चालू वर्ष में भी विनिवेश के लिए इन तरीकों का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) : चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सीपीएसईस में विनिवेशित इक्विटी का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) : वर्ष 2018-19 के दौरान जिन सीपीएसईस कि इक्विटी का विनिवेश किया गया है उनमें से कोई भी घाटे में चलने वाला नहीं था।

(घ) : जी, नहीं। वर्ष 2018-19 के दौरान एचएससीसी (इंडिया) लि. में भारत सरकार कि सम्पूर्ण हिस्सेदारी का एनबीसीसी (इंडिया) लि. द्वारा अधिग्रहण किया गया था और वह भी एक सीपीएसई ही है।

✦✦✦

आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र

कभी सार्वजानिक उपक्रमों की संख्या 300 से अधिक हुआ करती थी, लेकिन समयान्तराल संख्या घटती जा रही है । निजी क्षेत्र उस समय आवश्यकता पूरी करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए सरकारों ने विभिन्न तरह के सार्वजानिक उपक्रम स्थापित किए। कुछ बड़े उपक्रमों का उल्लेख करना जरुरी है, जैसे भारत संचार, नगर निगम लिमिटेड, ओएनजीसी, तेल की कम्पनियां, रक्षा उत्पाद उपक्रम, स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया, कोयले की कम्पनियां इत्यादि। यूरोप में औद्योगीकरण की प्रक्रिया 1600 सदी से शुरू हुई और 19वीं सदी तक आते-आते चरमसीमा तक पहुंचा और इस अंतराल में भारत में नहीं के बराबर औद्योगीकरण हुआ। यूरोप और अमेरिका ने निजी क्षेत्र में न केवल तमाम क्षेत्रों में उत्पादन किया बल्कि तकनीक और खोज भी किया। 1930 के दशक में टाटा के द्वारा निजी क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया जो कि इतने बड़े देश में आपूर्ति की दृष्टि से नहीं के बराबर था। अंग्रेजों ने भी कुछ उद्योग स्थापित किये लेकिन मूलरूप से ट्रेडिंग और आयात-निर्यात पर उनका जोर रहा। आज़ादी के बाद सरकारी उपक्रमों एवं विभागों का आपूर्ति एवं सेवा लगभग 80 प्रतिशत हुआ करती थी और उसकी तुलना में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 10 से 15 प्रतिशत तक ही रही।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया समाजवादी और पूंजीवादी खेमे में बंटती है और हमारा झुकाव समाजवादी व्यवस्था के प्रति रहा। देखा जाये तो परिस्थितियां भी इसी तरह की थी क्योंकि निजी क्षेत्र बहुत पीछे रह गया था। भारत कृषि प्रधान देश रहा और इससे अपने आप बात समझ में आती है कि उद्योग धंधों के मामलों में हम सदियों से पीछे चलते रहे हैं । जाति-व्यवस्था ने उत्पादन में लगे लोगों को न तो सम्मान दिया और न ही श्रम के बराबर मेहनताना। जो उत्पादन से दूर रहे और इस काम को करने में अपमान समझते थे, शिक्षा एवं सत्ता उनके पास रही अर्थात् व्यावहारिक ज्ञान महत्वहीन और काल्पनिक और केवल बौद्धिक को सर्वोपरि रखा गया, जिसकी वजह से विज्ञान, तकनीक का विकास नहीं हो पाया । उदाहरण के तौर पर लोहे के क्षेत्र में काम करने वाले को शूद्र की श्रेणी में रखा गया, और इस तरह से उसके लिए यह कार्य जीविकोपार्जन तक ही सीमित रहा न कि वह इस क्षेत्र में अनुसंधान या कोई विकास करता और धीरे-धीरे इंजीनियरिंग का एक विषय बन जाता जिसे हम मेटललोजी के नाम से जानते हैं । इसके विपरीत यूरोप में ऐसे हाथों को सम्मान से देखा गया तो उनकी रुचि न केवल जीविकोपार्जन की रही बल्कि उस क्षेत्र को लगातार कुछ नया करने का जुनून बना रहता रहा। यही कारण है कि हमारे यहां मशीनीकरण एवं औद्योगीकरण न हो सका। परिस्थिति भले ही क्यों न सरकार के अधीन उद्योग धंधे लगाने की रही हो लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि निजी क्षेत्र के पास न तो पूंजी थी, न मशीनें और न ही इनको संचालित करने का अनुभव।

डॉ. उदित राज

जब हम उद्योग धंधे और व्यवसाय की बात करते हैं तो यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थिति कैसी है? आज भी हमारे निजी क्षेत्र शोध, तकनीक और विकास आदि में नहीं के बराबर हैं और लगभग 95 प्रतिशत मशीनें उपकरण आदि आयातित होते हैं। कुछ मामलों में ज्यों का त्यों इस्तेमाल कर लिया जाता है और उनमें परिस्थितिवश थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उपयोग किया जाता है। जिन देशों में औद्योगीकरण, मशीनीकरण, विज्ञान एवं तकनीक का विकास हुआ, वहां पर धंधा करने के लिए निजी क्षेत्र ने खुद तकनीक और ज्ञान विकसित करके पैसा कमाया जैसे फेसबुक ने यदि उद्योग खड़ा किया तो एक नई तकनीक की खोज किया और बिल गेट्स ने विंडोज साफ्टवेयर और स्टीव जॉब ने एप्पल का अविष्कार किया । अन्य देशों में निजी क्षेत्र मुनाफा ही नहीं कमाते बल्कि शोध और विकास के ऊपर भारी धन व्यय करते हैं।

हमारे यहां मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत ज्यादा ही हो रही है । इसका सबसे ज्यादा शिकार सार्वजनिक उपक्रम हैं । वर्ल्ड बैंक, आइएमएफ आदि पर यूरोप और अमेरिका हमेशा दबाव बनाये रहते हैं कि आर्थिक सुधार ज्यादा से ज्यादा और जल्दी कर दिया जाये अर्थात् सार्वजनिक उपक्रमों को विनिवेश या बेच दिया जाये । अब तो मुनाफे वाले उपक्रम बिकने लगे हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के कर्मचारी आन्दोलनरत हैं कि मुनाफे वाली कंपनी को सरकार क्यों बेच रही हैं। ड्रीजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी यही हश्र हो रहा है। भारत अर्थमोवर्स लिमिटेड एवं सलेम स्टील प्लांट आदि सभी को पूंजीपतियों को देने की तैयारी है । एयर इंडिया का खरीददार कोई मिल नहीं रहा है, इतने निकम्मे सार्वजनिक उपक्रम नहीं है जितना इनको बनाया गया है, शुरू से ही नौकरशाहों को इनके ऊपर बैठाया गया और यह कहना अतिश्योक्ति नहीं है कि इनके दोहन के लिए तमाम अधिकारी सिफारिश करके जाते रहे हैं, तमाम नेताओं ने भी इनका शोषण करने में कसर नहीं रखी ।

सरकार विनिवेश के जरिये मार्केट से करीब एक लाख करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इसके लिए उसने एक बार फिर विनिवेश कार्यक्रम में बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार सरकार की आमदनी बढ़ाने और वित्तीय घाटे को तय लक्ष्य के भीतर रखने के लिए सरकार अगले माह से विनिवेश कार्यक्रम में तेजी लाने जा रही है। इसके तहत जल्द ही एनटीपीसी का विनिवेश किया जाएगा। इसके करीब 3 पर्सेंट शेयर बेचे जाएंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर की दो कंपनियों जनरल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनियों के कुछ और शेयर मार्केट में बेचने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सरकार हुडको और एनबीसीसी में 10 पर्सेंट हिस्सेदारी बेचेगी। विनिवेश के लिए सरकार की ओर से जल्द ही मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के आखिर में एमएमटीसी, आईटीडीसी एवं एसटीसी में हिस्सेदारी बेची जाएगी। विनिवेश कार्यक्रम में बदलाव और तेजी लाने के लिए सरकार मजबूर है। दरअसल, विनिवेश कार्यक्रम से सरकार को अभी तक 15,247 करोड़ रुपये ही जुटा पाई है। हालांकि बजट में विनिवेश के जरिये करीब 80,000 करोड़ रुपये उगाहने का लक्ष्य रखा था। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार के लिए जरूरी हो गया है कि वह विनिवेश के जरिये एक लाख करोंड़ रुपये जुटाए। इससे सरकार को वित्तीय घाटे को जीडीपी के परिपेक्ष्य में 3.3 पर्सेंट पर रखना मुमकिन हो जाएगा।

जितना कल्याणकारी काम सार्वजनिक उपक्रमों का रहा शायद दूसरों का नहीं, दूरदराज के क्षेत्रों में इन्हें लगाया गया जहाँ कि निजी क्षेत्र मुनाफा न होने की स्थिति में जाने से कतराते रहे । जिन पिछड़े इलाकों में ये सार्वजानिक उद्योग लगे वहां के गरीबों, आदिवासियों और दलितों के जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ । दलितों एवं पिछड़ों को आरक्षण की वजह से सर्वाधिक नौकरियाँ लगी, दूर-दराज इलाकों में अधिकारियों एवं नेताओं के लिए ठहरने के लिए गेस्ट रुम इत्यादि की आपूर्ति आदि करते रहे, इनके उत्पादन की वजह से निजी क्षेत्र कीमत एवं गुणवत्ता पर एकाधिकार नही बना पाया अर्थात् चेक एवं बैलेंस, जहाँ मुनाफा न हो वहां निजी क्षेत्र क्यों नहीं जाते? लेह और लद्दाख में बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) ही क्यों सेवाएं दे और निजी क्षेत्र न जाये । वहां सेवा देने के लिए लागत अधिक होगी और मुनाफा कम या घाटा भी हो सकता है जबकि सरकारी कम्पनियां लाभ को लक्ष्य बनाकर नहीं जाती हैं बल्कि सुविधा और आपूर्ति की दृष्टि से। यही हाल सिविल एविएशन का है कि एयर इंडिया सभी जगह सेवा करती रही जबकि निजी एयरलाइन्स वहां जाने की ताक पर रहते हैं, जहाँ से मुनाफा कमाया जाये। एयर इंडिया की हालत इतनी खराब न होती जितना कि नेताओं और अधिकारियों ने मिल कर बर्बाद किया। जिन सेक्टरों में पैसेंजर ज्यादा थे वहां पर निजी कंपनियों को दे दिया गया और घाटे वाला मार्ग एयर इंडिया को दिया गया। इस तरह से अन्य सरकारी उपक्रमों के साथ में बर्ताव किया गया। सरकारी होटलों को उससे भी कम दाम में बेचा गया जितना बैलेंसशीट में नकदी रहा हो। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया।

हमारे देश की सामाजिक सोच ऐसी नहीं है कि निजी क्षेत्र की प्राथमिकता रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गुणवत्ता, और टैक्सेज इत्यादि दूसरे देश के पूंजीपतियों जैसा दें या करें । शुरू में मोबाइल कॉल 32 रुपये और 16 रुपये हुआ करता था तब भारत संचार नगर लिमिटेड मुनाफा करने की बजाय सार्वजनिक सेवा के नियत से मोबाइल क्षेत्र में आया, तब निजी क्षेत्र वालों का एकाधिकार खत्म हुआ और धड़ा-धड़ दाम नीचे गिरे। निजी क्षेत्र नहीं चाहता था कि सरकारी कंपनी को इसका लाइसेंस मिले और मिला भी तो लगभग 7 साल बाद। मुक्त अर्थव्यवस्था की अंधाधुंध नकल न की जाए बल्कि अपनी परिस्थिति के हमारी अर्थव्यवस्था का ताना-बाना होना चाहिए । सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के बजाय ऐसे लोगों को सौंपा जाए जो उत्पादन को बढायें और घाटे से बचायें । इनकी उपस्थिति से निजी क्षेत्र मनमानी नहीं कर सकेगा और रोजगार भी सुनिश्चित कर सकेगा। सार्वजानिक उपक्रमों के मुनाफे से स्वच्छ भारत जैसे तमाम कार्यक्रम सरकारों ने चलाये, सैकड़ों एनजीओ भी इनसे सहायता लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल आदि के क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जहाँ पर सरकारी उपक्रम लगे हैं, आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल आदि के क्षेत्र में काम करते रहते हैं, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है रोजगार देना और सरकारी कंपनियों ने जितना रोजगार दिया है उसकी तुलना में निजी क्षेत्र का योगदान कुछ भी नहीं रहा। क्या यह दूरदर्शिता है कि घर में पड़े हुए कीमती वस्तु को बेच दिया जाये जबकि उसे बचाकर रखना चाहिए ताकि सुरक्षित रहे हम। जब ये बिक जाएंगी तब इनके बिकने के बाद और क्या बेचेंगे । दूरदर्शिता इसी में है कि इनको मजबूत किया जाये बजाये बेचने के?

+++

मंडल कमीशन से सामान्य कोटा तक आरक्षण

8 जनवरी को लोक सभा में एवं 9 जनवरी को राज्य सभा में सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित 124वां संवैधानिक संशोधन बिल पास हो गया। यह आरक्षण सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाएगा। देश की राजनीति में ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी सरकार ने आरक्षण देने का ऐलान कर पूरा रुख ही मोड़ दिया हो।

भारत में आरक्षण का इतिहास काफी पुराना रहा है, कई ऐसे अहम मोड़ रहे हैं जिन्होंने देश की राजनीति को पलट दिया है। देश में आरक्षण का इतिहास –

1950 : संविधान लागू हुआ

1953 : सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का मूल्यांकन किया गया, कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सिफारिशों को माना गया। ओबीसी की सिफारिशों को नकारा गया।

1963 : सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आमतौर पर 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। पिछड़े वर्गों को तीन कैटेगरी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में बांटा गया है।

1976 : अनुसूचियों में संशोधन किया गया.

1979 : सामाजिक–शैक्षणिक रूप से पिछड़ों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंडल कमिशन का गठन किया गया।

1980 : मंडल कमिशन ने कोटा में बदलाव करते हुए 22 फीसदी को 49.5 फीसदी तक ले जाने की सिफारिश की। जिसके बाद लंबे समय तक इस पर राजनीति चलती रही।

1990 : मंडल कमिशन की सिफारिशों को तत्कालीन वीपी सिंह की सरकार ने सरकारी नौकरियों में लागू किया। इसके खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हुआ, इस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह किया।

1991 : नरसिम्हा राव सरकार ने अलग से अगड़ी जातियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गैर संवैधानिक करार दिया।

2006 : केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत की।

2014 : यूपीए सरकार ने जाटों को केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल किया था। हालांकि, बाद में कोर्ट से इस फैसले को निरस्त कर दिया गया।

2014 : यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी आरक्षण देने की बात कही। हालांकि, कोर्ट में ये फैसला टिक नहीं पाया।

2019 : नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिया।

पिछले काफी समय में भी अलग–अलग राज्यों में कई स्तर पर आरक्षण को लेकर आंदोलन हुए, कई राज्य सरकारों ने भी अलग–अलग आधार पर आरक्षण देने का ऐलान किया।

https://aajtak.intoday.in/story/reservation-in-india-full-timeline-modi-government-upper-caste-lok-sabha-elections-1-1052722.html

✦✦✦

खूनी रहा है आरक्षण के लिए आंदोलनों का इतिहास, गई हैं कई जानें

मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का कदम उठाया है. इसके लिए सरकार संविधान संशोधन विधेयक का रास्ता भी अपना रही है। हालांकि पिछले कई दशक से देश के अलग–अलग राज्यों में आरक्षण की मांगें उठती रही हैं। इतना ही नहीं, आरक्षण के लिए देश में कई बड़े आंदोलन भी हुए और लोगों की जानें भी गई हैं। इस तरह से आरक्षण का इतिहास खून से सना हुआ है।

ओबीसी आरक्षण के खिलाफ

आरक्षण की आग में देश कई बार झुलस चुका है। पहली बार मंडल कमीशन की सिफारिशों को 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लागू किया तो देश में सवर्ण समुदाय के लोग इसके विरोध में सड़क पर उतर आए. ओबीसी आरक्षण के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हुआ, इस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह कर लिया। इसके अलावा कई जगह आगजनी–तोड़फोड़ तक हुई।

पटेल आंदोलन

एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद कई बार देश के अलग–अलग राज्यों में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन हुए। गुजरात में 2015 में पटेल आरक्षण की मांग हार्दिक पटेल के नेतृत्व में उठी और पूरे सूबे को अपनी चपेट में ले लिया। पटेल आरक्षण की अगुवाई कर रहे हार्दिक को पुलिस ने हिरासत में लिया तो सूबे का माहौल ही बिगड़ गया। देखते ही देखते पटेल समाज के लोग 12 से ज्यादा शहरों में सड़क पर उतर आए। इस दौरान उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए करीब सवा सौ गाड़ियों में आग लगा दी और 16 थाने जला दिए। ट्रेन की पटरियां भी उखाड़ दी गई थीं।

जाट आंदोलन

यूपीए सरकार ने चुनाव से ऐन पहले जाट समुदाय को ओबीसी की श्रेणी में शामिल किया था, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसे लेकर हरियाणा सहित कई राज्यों में जाट समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए और उनके आंदोलन ने हिंसक रुख अख्तियार कर लिया। जाट आंदोलन में हरियाणा में जमकर हिंसा, आगजनी व तोड़–फोड़ हुई। रेलवे व बस सेवा पूरी तरह ठप हो गई। आंदोलन के दौरान करीब 30 लोगों की जान गई और राज्य को 34 हजार करोड़ रुपये की धनहानि हुई।

गुर्जर आंदोलन

राजस्थान में गुर्जर समुदाय अलग से आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरा और कई दिनों तक रेलवे ट्रैक को जाम कर रखा। 2008 में गुर्जर आंदोलनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी की वजह से हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान 20 लोगों की मौत हुई थी। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली व मुंबई के रेल रूट को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद 2015 में एक बार फिर गुर्जर समुदाय के लोग सड़क पर उतरे और रेलवे ट्रैक पर कब्जा किया, पटरियां उखाड़ीं व आगजनी की, जिससे 200 करोड़ का नुकसान हुआ।

मराठा आरक्षण

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग काफी लंबे समय से हो रही है। इसके लिए मराठा समुदाय के लोग कई बार सड़क पर उतरे चुके हैं। आरक्षण की मांग को लेकर जुलाई 2018 में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद आंदोलनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और महाराष्ट्र के विधानसभा में 16 फीसदी मराठा आरक्षण बिल पास कर दिया गया।

निषाद आंदोलन

हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में निषाद आरक्षण आंदोलन के चलते एक सिपाही को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गाजीपुर में रैली करने गए थे। इस दौरान निषाद समुदाय के लोगों ने रोड जाम कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो पथराव शुरू हो गया। इसके बाद भीड़ हिंसक हो गई और एक सिपाही सुरेश वत्स की मौत हो गई। हालांकि निषाद समुदाय के लोग एससी में शामिल होने के लिए कई बार संघर्ष कर चुके हैं। 2015 में गोरखपुर में रेलवे ट्रैक जाम किया था।

आंध्र प्रदेश में हिंसा की आग

उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत में भी आरक्षण आंदोलन हुए हैं। आंध्र प्रदेश के कापू समुदाय ने 2016 में ओबीसी दर्जे की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन किए थे। राज्य में पूर्वी गोदावरी जिले में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रत्नाचल एक्सप्रेस के चार डिब्बों सहित दो पुलिस थानों को आग के हवाले कर दिया था। इस दौरान कई लोग व पुलिसकर्मी घायल हुए।

https://aajtak.intoday.in/story/general-cast-reservation-narendra-modi-jat-gurjar-patidar-reservation-protest-1-1052799.html

✦✦✦

अब मान लीजिए कि यह देश सवर्णों का है

संतोष मौर्य

लोक सभा में सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसका विरोध राजद को छोड़ किसी ने नहीं किया। इसके पक्ष में तर्क दलित और ओबीसी नेताओं ने भी दिए।

लोक सभा छोड़िए। मीडिया ने भी इस बार कोई विरोध नहीं दिखाया। मतलब सवर्णों के आरक्षण पर किसी को कोई ऐतराज नहीं।

जरा याद करिए इसके पहले क्या–क्या हुआ जब आरक्षण लागू किया गया या फिर उसकी बात की गयी।

सबसे पहले जब शाहू जी महाराज ने आरक्षण लागू किया था तब उनका महल जला दिया गया था। उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी गयी थी।

चलिए आज़ादी के बाद की घटना पर नजर डालते हैं। बाबा साहब को किस तरह का अपमान झेलना पड़ा था जब उन्होंने संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। उन्हें तो लोकसभा चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा था।

खैर छोड़िए। बाबा साहब की बात बाबा साहब के साथ गई। 1978 का वर्ष याद करिए जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू करना चाहा। वे कौन थे जो यह कहते थे – आरक्षण की नीति कहां से आई, कर्पूरिया के माय बिआई। पटना की सड़कों पर तब रक्तपात मचाने वाले कौन थे? दिनमान जैसी पत्रिका में तब आरक्षण के विरोध में लंबे–लंबे लेखों के लेखक कौन थे? एक नाम तो मैं ही बता देता हूं। नीतीश कुमार भी उनमें शामिल थे जो आरक्षण का आधार सामाजिक नहीं आर्थिक मानते थे।

जाने दीजिए कर्पूरी ठाकुर की बात। जाति के हजाम थे। कायस्थ जेपी की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जेपी मोरारजी देसाई से नाराज क्यों थे? मैं बताता हूं इसकी वजह। जब मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन के गठन का ऐलान किया था तब जेपी को वह खलनायक नजर आने लगे थे। वजह क्या रही, यह आप खुद ही समझ लें।

जेपी और मोरारजी को भी गोली मारते हैं। नब्बे में क्या हुआ जब ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया। आत्मदाह करने वाले और पूरा देश सिर पर उठाने वाले कौन थे? तब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्मन में आग लगी थी और उसने न केवल क्रीमीलेयर थोप दिया बल्कि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी रखने की शर्त भी रख दी।

बीसवीं सदी को छोड़ इक्कीसवीं सदी में आते हैं। जब उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया गया तब हंगामा करने वाले कौन थे?

तो अब यह मान लिजीए कि यह देश सवर्णों का है और हम सभी बहुजन केवल गुलाम हैं। और कुछ भी नहीं। ✦✦✦

डॉ. भीमराव अम्बेडकर .....

अंक 24 (1 से 15 दिसंबर 2018) का शेष .....

साल 1951 में, महिला सशक्तिकरण का हिन्दू संहिता विधयेक पारित करवाने की भी कोशिश की और इसके पारित नहीं होने पर उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने लोकसभा में सीट के लिए चुनाव भी लड़ा लेकिन वे इस चुनाव में हार गए। बाद में उन्हें राज्यसभा में नियुक्त किया गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु तक वे इसके सदस्य रहे थे। साल 1955 में उन्होंने अपना ग्रंथ भाषाई राज्यों पर विचार प्रकाशित कर आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोटे-छोटे और प्रबंधन योग्य राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जो उसके 45 सालों बाद कुछ प्रदेशों में साकार हुआ। डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिये समान नागरिक हिन्दू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, काम्पट्रोलर और ऑडीटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त और राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीतियां भी बनाई। यही नहीं डॉ. भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में लगातार कोशिश करते रहे और उन्हें अपने कठिन संघर्ष और प्रयासों के माध्यम से प्रजातंत्र को मजबूती देने राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को स्वतंत्र और अलग-अलग किया साथ ही समान नागरिक अधिकार के अनुरुप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को प्रस्थापित किया।

इसके अलावा विलक्षण प्रतिभा के धनी भीमराव अंबेडकर जी ने विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की सहभागिता भी संविधान द्वारा सुनिश्चित की और भविष्य में किसी भी प्रकार की विधायिकता जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत राज इत्यादि में सहभागिता का मार्ग प्रशस्त किया। सहकारी और सामूहिक खेती के साथ-साथ उपलब्ध जमीन का राष्ट्रीयकरण कर भूमि पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करने और सार्वजनिक प्राथमिक उद्यमों और बैकिंग, बीमा आदि उपक्रमों को राज्य नियंत्रण में रखने की पुरजोर सिफारिश की और किसानों की छोटी जोतों पर निर्भर बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने औद्योगीकरण के लिए भी काफी काम किया था।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का निजी जीवन

दलितों के मसीहा कहे जाने वाले डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पहली शादी साल 1906 में रमाबाई से की थी। इसके बाद दोनों ने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम यशवंत था। साल 1935 में रामाबाई की लंबी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। 1940 में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट पूरा करने के बाद भीमराव अंबेडकर जी को भी कई बीमारियों ने जकड़ लिया था जिसकी वजह से उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, हमेशा पैरों में दर्द रहता था और उनकी डायबिटीज की समस्या भी काफी बढ़ गई थी जिस वजह से वे इन्सुलिन भी लेते थे। इसके इलाज के लिए वे बॉम्बे गए जहां उनकी मुलाकात पहली बार एक ब्राह्मण डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और 1948 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद डॉक्टर शारदा ने अपना नाम बदलकर सविता अंबेडकर रख लिया।

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपनाया बौद्ध धर्म

साल 1950 में भीमराव अंबेडकर एक बौद्धिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए श्रीलंका चले गए। जहां जाकर वे बौद्ध धर्म के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होनें बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला लिया और उन्होनें खुद को बौद्ध धर्म में रूपान्तरण कर लिया। इसके बाद वे भारत वापस आ गए। भारत लौटने पर उन्होनें बौद्ध धर्म के बारे में कई किताबें भी लिखी। वे हिन्दू धर्म के रीति-रिवाज के घोर विरोधी थे और उन्होंने जाति विभाजन की कठोर निंदा भी की है। साल 1955 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया और उनकी किताब 'द बुद्धा एंड हिज धम्मा' उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर, 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक आम सभा का भी आयोजन किया जिसमें उन्होनें अपने करीब 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म में रुपान्तरण किया। इसके बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर जी काठमांडू में आयोजित चौथी वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। 2 दिसंबर 1956 में उन्होनें अपनी आखिरी पांडुलिपि 'द बुद्धा एंड कार्ल्स मार्क्स' को पूरा किया।

डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी साल 1954 और 1955 में अपनी बिगड़ती सेहत से काफी परेशान थे उन्हें डायबिटीज, आंखों में धुंधलापन और अन्य कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया था जिसकी वजह से लगातार उनकी सेहत बिगड़ रही थी। लंबी बीमारी के बाद उन्होनें 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अंतिम सांस ली, उन्होनें खुद को बौद्ध धर्म में बदल लिया था इसिलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति-रिवाज के अनुसार ही किया गया उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और उनको अंतिम विदाई दी।

डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती

दलितों के उत्थान करने के लिए और समाज में दिए गए उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए, और उनके सम्मान के लिए उनके स्मारक का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती की नाम से मनाया जाने लगा। उनके जन्मदिवस वाले दिन को नेशनल हॉलीडे घोषित किया। इस दिन सभी निजी, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टी होती है। 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली अम्बेडकर जयंती को भीम जयंती भी कहा जाता है। उनके देश के लिए अहम योगदान की वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान

भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी जिंदगी के 65 सालों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक समेत अलग - अलग क्षेत्रों में कई काम कर राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान दिया।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की किताबें

पहला प्रकाशित लेख भारत में जाति : उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास है, इवोल्युशन ऑफ प्रोविन्शिअल फिनान्स इन ब्रिटिश इंडिया, जाति के विनाश, हू वर द शुद्राज, द अनटचेबल्स ए थीसिस ऑन द ओरिजन ऑफ अनटचेबिलिटी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, द बुद्ध एंड हिज धम्म, बुद्ध या कार्ल मार्क्स,

मरणोपरान्त सम्मान

डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित की गई है। अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।

कई सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है - जैसे कि हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का डॉ. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, बी आर अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय- मुजफ्फरपुर। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, जो पहले सोनेगांव हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। अम्बेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। भीमराव अंबेडकर अपने माता-पिता के चौदहवीं और आखिरी बच्चे थे। डॉ. अम्बेडकर का मूल नाम अम्बावाडेकर था। लेकिन उनके शिक्षक, महादेव अम्बेडकर, जो उन्हें बहुत मानते थे, ने स्कूल रिकार्ड्स में उनका नाम अम्बावाडेकर से अम्बेडकर कर दिया।

बाबा साहेब मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में दो साल तक प्रिंसिपल पद पर कार्यरत रहे। डॉ. भीमराव अम्बेडकर की शादी 1906 में 9 साल की रमाबाई से कर दी गई थी, वहीं 1908 में वे एलफिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने वाले पहले दलित बच्चे बने। डॉ. भीमराव अम्बेडकर 9 भाषाएं जानते थे। उन्होनें 21 साल तक सभी धर्मों की पढ़ाई भी की थी। डॉ. भीम राव अम्बेडकर के पास कुल 32 डिग्री थी। वो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पी.एच.डी करने वाले पहले भारतीय भी बने। आपको बता दें कि नोबेल प्राइज जीतने वाले अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में इन्हें अपना पिता मानते थे।

भीमराव अंबेडकर पेशे से वकील थे। वे 2 साल तक मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी बनें। डॉ. बी. आर अम्बेडकर भारतीय संविधान की धारा 370, (जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है) के खिलाफ थे। बाबासाहेब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉ. अम्बेडकर ही एक मात्र भारतीय हैं जिनकी portrait लन्दन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। इंडियन फ्लैग में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉ. अम्बेडकर को जाता है।

B R Ambedkar Labor Member of the Viceroy's Euecutive Council के सदस्य थे और उन्ही की वजह से फैक्ट्रियों में कम से कम 12-14 घंटे काम करने का नियम बदल कर सिर्फ 8 घंटे कर दिया गया था। वो बाबा साहेब ही थे जिन्होंने महिला श्रमिकों के लिए सहायक Maternity Benefit for Women Labor, Women Labor Welfare Fund, Women and Child, Labor Protection Act जैसे कानून बनाए। बेहतर विकास के लिए 50 के दशक में ही बाबासाहेब ने मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही इनका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखण्ड का गठन किया गया। बाबा साहेब को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। माना जाता है कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमे 50 हजार से अधिक पुस्तकें थी। डॉ. अम्बेडकर बाद के सालों में डायबिटीज से बुरी तरह ग्रस्त थे। भीमराव अंबेडकर ने हिन्दू धर्म छोड़ते समय 22 वचन दिए थे, जिन्होनें कहा था कि, मैं राम और कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं उनकी कभी पूजा नहीं करुंगा। 1956 में अंबेडकर जी ने अपना धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म अपना लिया था वे हिन्दू धर्म की रीति-रिवाजों और जाति विभाजन के विरोधी थे। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 2 बार लोक सभा चुनाव लड़ा था और दोनों बार वे हार गए। डॉ. भीम राव अंबेडकर जी का समाज के लिए किए गए अनगिनत योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उन्होनें उस समय दलितों की हक के लिए लड़ाई लड़ी जब दलितों को अछूत मानकर उनका अपमान किया जाता था। खुद भी उनके दलित होने की वजह से उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा लेकिन वे कभी हिम्मत नहीं हारे और विपरीत परिस्थितियों में उन्होनें खुद को और भी ज्यादा मजबूत बना लिया और सामाजिक और आर्थिक रुप से देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसके लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। 1920 में 'मूक नायक' ये अखबार उन्होंने शुरु करके अस्पृश्यों के सामाजिक और राजकीय लढाई को शुरुवात की। 1920 में कोल्हापुर संस्थान में के माणगाव इस गाव को हुये अस्पृश्यता निवारण परिषद में उन्होंने हिस्सा लिया। 1924 में उन्होंने 'बहिष्कृत हितकारनी सभा' की स्थापना की, दलित समाज में जागृत करना यह इस संघटना का उद्देश था। 1927 में 'बहिष्कृत भारत' नामका पाक्षिक शुरु किया।1927 में महाड़ यहां पर स्वादिष्ट पानी का सत्याग्रह करके यहाँ की झील अस्पृश्यों को पीने के पानी के लिए खुली कर दी। 1927 में जाति-व्यवस्था को मान्यता देने वाले 'मनुस्मृती' का उन्होंने दहन किया। 1928 में गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज में उन्होंने प्राध्यापक का काम किया। 1930 में नाशिक यहां के 'कालाराम मंदिर' में अस्पृश्यों को प्रवेश देने का उन्होंने सत्याग्रह किया। 1930 से 1932 इस समय इंग्लैंड यहां हुए गोलमेज परिषद् में वो अस्पृश्यों के प्रतिनिधि बनकर उपस्थिति रहे। उस जगह उन्होंने अस्पृश्यों के लिये स्वतंत्र मतदार संघ की मांग की। 1932 में इग्लैंड के पंतप्रधान रॅम्स मॅक्ड़ोनाल्ड इन्होंने 'जातीय निर्णय' ज़ाहिर करके अम्बेडकर की ऊपरवाली मांग मान ली।

जातीय निर्णय के लिये महात्मा गांधी का विरोध था। स्वतंत्र मतदान संघ के निर्माण के कारण अस्पृश्य समाज बाकी के हिन्दू समाज से दूर जायेगा ऐसा उन्हें लगता था। उस कारण जातीय निवडा विरोध में गांधीजी ने येरवड़ा (पुणे) जेल में भूख हड़ताल आरंभ किया। उसके अनुसार महात्मा गांधी और डॉ. अम्बेडकर के बीच में 25 दिसंबर 1932 को एक करार हुवा। ये करार 'पुणे करार' के नाम से जाना है। इस करारान्वये डॉ. अम्बेडकर ने स्वतंत्र मतदार संघ की जिद् छोड़ी और अस्पृश्यों के लिये कंपनी लॉ में आरक्षित सीटें होनी चाहिए। 1935 में डॉ. अम्बेडकर को मुंबई के गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज के अध्यापक के रूप में चुना गया। 1936 में सामाजिक सुधार के लिये राजकीय आधार होना चाहिये इसलिये उन्होंने 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' की। 1942 में 'शेड्युल्ट कास्ट फेडरेशन' के नाम के पक्ष की स्थापना की। 1942 से 1946 तक उन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकारी मंडल 'श्रम मंत्री' बनकर कार्य किया। 1946 में 'पीपल्स एजुकेशन सोसायटी' की संस्था की स्थापना की। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बनकर काम किया। उन्होंने बहुत मेहनत पूर्वक भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया और इसके कारण भारतीय राज्य घटना बनाने में बड़ा योगदान दिया। इसलिये 'भारतीय संविधान के शिल्पकार' इस शब्द में उनका सही गौरव किया जाता है। स्वातंत्रता के बाद के पहले मंत्रिमंडल में उन्होंने कानून मंत्री बनकर काम किया। 1956 में नागपुर के एतिहासिक कार्यक्रम में अपने 2 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौध्द धर्म की दीक्षा ली।

✦✦✦

West Bengal State Convention

on 24th Febraury, 2019

On 3rd December, 2018, more than 200 members of West Bengal chapter of All India Confederation of SC/ST Organizations from various field participated in the rally marched from Ambedkar Bhawan to Ramlila Maidan, Delhi in support of "Save Constitution and Save Reservation" and Supreme Court Gherao called by Dr. Udit Raj, Member of Parliament – Lok Sabha and ex IRS. The role of Bengal supporters was exceptional. At time of approaching towards Supreme Court, Delhi Police charged with Lathi on the rally. Bengal team and DOM PARISANGH supporters faced the Police from front. The Police force of Rajinder Nagar Police Station, Delhi arrested Dr. Udit Raj and his supporters. A group of people from West Bengal was also arrested. We are very proud to be a part of the rally. Only Dr. Udit Raj can save the backward class people in India. We people from West Bengal will always support the movement of Dr Udit Raj.

Keeping in mind this movement, the State Committee of DOM Parisangh, West Bengal is going to organize a State Convention on 24th February, 2019. State president of DOM Parisangh, Mr. Subrata Roy (Batul) is taking the initiative to gather more than 10,000 people from 23 districts of West Bengal. 200 delegates and dignitaries and intellectuals from various organizations will participate in this Convention.

In some places of West Bengal the backward community people are socially boycotted. They are frequently harassed by the so called upper caste people. De-reservation is now an ailment in almost all the sectors here. Women from SC/ST/OBC are also not safe. Large numbers of people are victimized at their working places very often. SC/ST commission is like a child's toy. It's an ideal body and but fails to take any steps against the irregularities.

The main area which will be covered in the Convention and discussed are:

1. Introduce reservation in private sector,

2. Reservation against appointment in contractual, casual, part time, guest and similar posts in both government and non government sector.

3. Mandatory Punishment and Compensation under Atrocities Act.

4. Implementation and execution of all schemes related to backwards.

Dr. Udit Raj, Member of Parliament – Lok Sabha and ex IRS will be the Chief Guest and inaugurate of the Convention. All members of the DOM PARISANGH are trying earnestly to make the Convention successful under the leadership of Subrata Roy.

Place: Kharagpur Railway Maidan, Midnapur, WEST BENGAL.

All are welcome.

Subrata Roy(Batul)

MAKE DR AMBEDKAR YOUR ROLE MODEL :R. K. KALSOTRA

DODA 30.12.2018

Doda unit of All India Confederation of SC/ST/OBC Organization organized a Grand function in Town Hall Doda where Sarpanchs and Panchs belonging to SC/ST/OBC & Minority communities were felicitated. A large number of people from Doda, Bhaderwah, Chirala, Thathri, Kara-Gandoh, Marmat, Bhagwah, Kishtwar, Paadar and Ghat participated in the function.

Sh. R K Kalsotra, State President of All India Confederation of SC/ST/OBC Organization's Jammu unit was the Chief Guest.

The newly elected Sarpanchs and Panchs, were greeted by Retd. DFO Amar Nath Bhagat, District President of Confederation on their victory. He advised them to initiate development work in their areas in the interest of the poor and also ensure timely justice.

R.K.Kalsotra congratulated the newly elected Sarpanchs and Panchs, greeted them with garlands and certificates. Kalsotra advised the Panchs, Sarpanchs to follow the footsteps of Dr Ambedkar as a political as well as a social worker who throughout his whole life struggled for the rights of weaker depressed classes.

He insisted them to accept Dr. Ambedkar as their role model and not the MLAs of previous Govt. He said that there were 7 MLA's from SC community from a particular party and their contribution to Downtrodden and reserved class is negligible and ironically during their tenure reservation in promotions of reserved categories was also stopped. These representatives from the reserved community made no special efforts for clearance of huge back log in employment of SC/ST/OBC, educated youth or for providing timely scholarship to poor students. There has been a total failure in providing adequate funds in SCP/STP and even caste based atrocities increased during their time which is quite shameful.

He also advised the cadre of the Confederation to be united and to educate and aware the masses at ground level about their constitutional rights. He advised them to elect honest and dedicated people in upcoming elections who are committed to work for the upliftment of the poor, downtrodden and they should ensure implementation of the policies and programmes as per the provisions of the Constitution.

The political representatives who have been elected are not only supposed to construct roads, drains and buildings, but their job is also to protect and ensure implementation of reservation policy which unfortunately most of them fail to do so after coming to power.

Kalsotra explained in detail the role of Sarpanchs and Panchs in a Panchaayat. He added that the Sarpanch of a Village acts as the head of the village and he or she is responsible for various functions and activities. A Sarpanch also acts as a single point of contact between the administration and the village. A Sarpanch/Panch has the duty to look after both the village infrastructure and civic amenities and has to maintain them. A Sarpanch/Panch can also organize skill development programs for the village youth.

The Sarpanch/ Panch also has the duty to look out for any illegal or anti-social activity taking place inside the village. The Sarpanch/Panch has the duty to highlight and take up issues of the village and report them to the government authorities So basically a Sarpanch/Panch is the caretaker of the Village.

Mr. Kalsotra further added that there has been no representation of depressed reserved classes at any level be it at Tehsil level, in Police department or at District level. There should be representation of the reserved categories in all the departments at Block, Tehsil & District level. None of the advisor to governor represents these reserved communities. Moreover there has been no representation of these communities in Corporations or Committees being framed. Mr. Kalsotra exhorted upon the Panchs and Sarpanchs to support the Confederation in the struggle for protecting the constitutional rights and to work hard for the upliftment of the downtrodden communities.

✦✦✦

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 22 ● Issue 2 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 January, 2019

Why reservation was introduced and where is it now

For nearly a century reservation has been provided on the basis of social and economic backwardness, slowly the atmosphere got vitiated and demand picked up for economic basis. The 124th Constitutional amendment has been made in the fastest time and it demonstrates that political will matters. The reservation is like a mirage which everybody tries to chase. The purpose of reservation was to give representation to those who were not adequately represented in the Government and were deprived for centuries. SAHUJI MAHARAJ introduced reservation for the first time in Kolhapur in 1902, providing reservation up to 50%. Thereafter, a commission was instituted under the Chairmanship of Justice Miller in 1918 in the state of Mysore. It gave its findings in May 1919 which got promulgated in May 1921 providing reservation up to 75% to SC/ST & OBC. In the same year in September, the Justice Party in Madras introduced reservation. The reservation was introduced in Bombay Presidency in 1928 and Travancore State in 1935. The Government of India introduced it in 1943. Looking at the background of providing reservation, it is evident that the basis was Social and Economic Backwardness thus it is very clear that intention behind reservation was representation and not poverty alleviation. VP Singh Government announced to give reservation to Backwards as recommended by MANDAL Commission. Protests were violently held throughout the country and the matter was referred to Supreme Court and finally the nine-judge bench upheld the reservation for backwards. No provision exists in the Constitution to give reservation on Economic basis. In INDIRA SAHNI VS UOI, the economic criterion was applied only for the purpose of excluding the creamy layer and not for providing reservation on Economic grounds. Now it is easier to answer many vexed questions without any narrative. The MANDAL era onwards, the atmosphere was charged and it was believed that reservation is the sole panacea. Demands were raised from those SC/STs who had availed reservation to abstain from availing it for their next

Dr. Udit Raj

generations. All this culminated into a chaotic situation and misled people to believe that the basis of providing reservation is economic empowerment. The narrative is against the purpose of providing reservation and not what the constitution makers envisaged. 10% reservation for the economically weaker section in the upper caste has, to a great degree, helped to remove the blot on the SC/ST and OBC that they are inefficient. Of course, these beliefs were unfounded and prejudiced and are a product of hatred and frustration in the upper castes. Reservation was first introduced in the states of south India and they have shown better progress on various indicators of development be it Education, Economy, Health and Law and Order. At the initial stage i.e at the time of recruitment, a gap of few marks in competitive exam isn't enough to decide the efficiency of recruits. Undergoing rigorous training and with experience one can easily develop the qualities required to perform his/her job efficiently. It's important to know that deprivation for generations in the form of social status, educational and employment opportunities, lack of adequate nutrition and an enabling environment are manifested in lower marks during exams. Exposure and opportunities not only make the SC/STs & OBCs come at par but fare better than the upper caste counterparts as shown by two pilot studies done by Prof ASHWANI DESHPANDEY of Delhi university and R. Bhawnani and Alexander. Those who attach the tag of inefficiency to SC/STs and OBCs on the account of reservation fail to see that Capitation Fee Management Quota and Local quota also provide similar grace/relaxation. Ever since privatisation and globalisation commenced the Government Jobs have shrunk day by day. This has hit the Public Sector Undertaking the most. The contract system and outsourcing of the jobs has become the new norm and has left no opportunity for the depressed classes to get jobs. Recently Cabinet Minister NITIN GADKARI has expressed that "where are the Government Jobs". Less creation of jobs has led to more and more unemployment and increased pressure on few vacancies . Under these circumstances it has to be seen that how many upper Castes would be benefited from reservation. There is no doubt that atmosphere is pleasant since 124th amendment has been enacted. Now any Tom Dick and harry will not be seen at every nook and corner saying that their children are being deprived of the opportunity to get the government job due to reservation. Proportion of reservation for upper castes is fairly good considering their size in the population. It is not very difficult to imagine that how many of the upper castes are going to get government jobs.

✦✦✦

Need to introduce All India Judicial Services

Dr. Udit Raj, Hon'ble Member of Parliament, North West Delhi, raised the issue of All India Judicial Services in Lok Sabha on 12th December, 2018 under Rule 377. He said that nowhere in the world, Judges appoint Judges, except in India. The worst is happening where there are no defined parameters of merit to select the judges and appointments are made through nepotism, on caste basis and teacher disciple relation. A common man, cannot afford to knock the doors of High Courts and Supreme Court to seek justice as remuneration of effective and senior advocates runs into lakhs and crores. The PIL has caused more harm than good. Elite and favoured lawyers join hands with few private citizens to file PIL and get the law made for whole society without their opinion which is undemocratic.

How can a few petitioners, lawyers and judges know the opinion of millions of people? What 545 Members of Lok Sabha cannot do, judges do in minutes. To strike balance between the legislature, executive and judiciary either NJAC be restored or All India JudicialServices be introduced.

✦✦✦

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:

Five years : Rs. 600/-

One year : Rs. 150/-

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya